Email: upsgvb@yahoo.in

दुरभाषः 0522 2238844,3056439
PHONES: 3056423, 3056413
फैक्स : 0522 2239806

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : 10, माल एवेन्यू, लखनऊ
U.P. SAHKARI GRAM VIKAS BANK LTD.
Head office : 10, MALL AVENUE, LUCKNOW.

पत्रांक–63521 / प0सं0 / विधि–2 / 2017–18 दिनांकः–21 / 04 / 17

समस्त शाखा प्रबन्धक **<u>सर्वोच्च प्राथमिक्ता</u>**
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

विषयः–माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय के स्तर से समयबद्ध पारित आदेशों के अनुपालन / निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय, के पत्रांक–502 / एम0डी0कैम्प / 2017–18 दिनांक 15 / 04 / 17 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के स्तर से पारित आदेशों के अनुपालन / निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। यदि किसी माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्रत्यावेदन निस्तारण के निर्देश दिए जाते है तो अधिकांश मामलों मे निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण नही कराया जाता है तो एक तरफ जहॉ प्रबन्ध तंत्र की स्थिति खराब होती है, वही दूसरी ओर बैंक प्रबन्ध का इन प्रकरणों में अनावश्यक व्यय भी होता है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित शाखा में यदि किसी माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन निर्धारित समय–सीमा में किया जाना है तो उसका अनुपालन तत्काल कराये। यदि किसी प्रकरण में कोई समस्या आती है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल अवगत कराये जिससे कि समस्या का निराकरण कराया जा सकें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि अद्यतन कितने प्रकरण / मामलें लम्बित है, ऐसे मामलों की सूची तैयार कर लें और उसमें सभी केस दर्ज करा लें कि किस केस में किस तारीख तक केस का निस्तारण किया जाना है। उक्त तथ्यों से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 25 / 04 / 2017 तक सूचित करें।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह0 / –
(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(विधि / प्रशासन)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डल / जनपद प्रभारी उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
3. प्रबन्धक श्रेणी–2 आई0टी0सेल को इस निर्देश के साथ कि समस्त शाखाओं को ई0मेल के द्वारा सूचना प्रेषित करें।

ह0 / –
मुख्य महाप्रबन्धक(विधि / प्रशासन)